



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त को 01 वर्ष के कठोर कारावास व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 186/2019 धारा- 8/20 NDPS एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय एफटीसी-द्वितीय एनडीपीएस कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त कल्लू सोनकर पुत्र बदलू सोनकर निवासी ग्राम खालेपुरा थाना कोवताली जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 01 वर्ष के कठोर कारावास व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।



विशेष लोक
अभियोजक प्रवीण
कुमार भदौरिया



विवेचक-
निरी0 श्याम प्रताप
पटेल



पैरोकार
थाना – को0 नगर
का0 रजनीश कुमार